भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1103
(दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पैकेज्ड मिनरल वाटर की गुणवत्ता

1103. श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमारः
श्री मनसुख एल॰ मांडवियाः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पैक किए गए मिनरल वाटर की स्वच्छता संबंधी गुणवत्ता की जांच करने संबंधी अभ्यावेदन पर मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के परामर्श पर क्या कार्रवाई की गई है, चूंकि इस तथ्य के बावजूद कि केन्द्रीय सरकार ने पेयजल के लिए विशेष मंत्रालय की स्थापना पहले ही कर दी है, इस समय यह जांच उस मंत्रालय द्वारा की जाती है और इसके कारण दो मंत्रालयों के बीच उचित समन्वय की कमी है; और

(ख) क्या मंत्रालय इस संबंध में उस मंत्रालय से संपर्क करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री भरतसिंह सोलंकी)

(क) एवं (ख) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करता है जिसके जल गुणवत्ता संबंधी विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देश आईएस–10500 द्वारा शासित होते हैं तथा पैक किए गए पेयजल एवं प्राकृतिक मिनरल वॉटर से संबंधित मामलों का इस मंत्रालय से संबंध नहीं है, जिनके जल गुणवत्ता संबंधी विनिर्देश बीआईएस द्वारा क्रमशः इनके मानकों आईएस–14543 एवं आईएस–13428 में निर्धारित किए गए हैं।

******